क्रम-संख्या–96 (ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 जून, 2025

आषाढ़ 6, 1947 शक सम्वत्

प्रपत्र–18

[नियम 20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

———

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

———

अधिसूचना संख्या 521/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0)/इन्टीग्रेटिड टाउनशिप गाजियाबाद
गाजियाबाद, 27 जून, 2025

———

अधिसूचना

प०आ०–131

1- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के माध्यम से इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद, परगना डासना के ग्राम महरौली में कुल 0.0130 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2- राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

(i) अर्जित भूमि का प्रतिकर भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा।

(ii) सामाजिक समाघात अध्ययन के समय भूमि अर्जन हेतु कुल 03 खसरा नम्बरान की कुल 0.5880 हैक्टेयर निजी भूमि का अर्जन प्रस्तावित था जो बाद में संशोधित होकर 0.0130 हैक्टेयर भूमि का हो गया जिसमें कुल 01 गाटा प्रभावित है। इस प्रकार कुल 0.0130 हैक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाना है।

(iii) अर्जनाधीन भूमि पर स्थित वृक्षों या परिसम्पत्तियों के संदर्भ में सक्षम प्राविधिक विभाग से मूल्यांकन कराते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(iv) सामाजिक समाघात अध्ययन के समय अर्जनाधीन भूमि से लगभग 22 कृषक प्रभावित थे परन्तु संशोधित क्षेत्रफल 0.0130 है0 से 02 कृषक प्रभावित हैं।

(v) अधिनियम, 2013 की व्यवस्थान्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कराते हुए कार्यवाही की जायेगी।

4- भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 414/एक-13–2014-7(क)(8)/2014 लखनऊ, दिनांक 6 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उप कलेक्टर को उनकी अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर ''पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक'' नियुक्त किया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से परियोजना से प्रभावित पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर योजना बनाये जाने हेतु उप जिलाधिकारी–सदर, गाजियाबाद को उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं:–

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
गाजियाबाद	गाजियाबाद	डासना	महरौली	654 मि0	0.0130
				योग	**0.0130**

6– अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते हैं।

7– अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8– अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर गाजियाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
दीपक मीणा,
समुचित सरकार/कलेक्टर,
गाजियाबाद।

FORM-18

[*Sub*-rule (2) of Rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of Section 11 of Act]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Housing and Urban Planning Department

Notification no. 521/VIII-A.Ji.A. (Bhu.A.)/Integrated Township/Ghaziabad.

Dated Ghaziabad, June 27, 2025

---

1. Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.0130 hectare land in the Village Mehrauli, Pargana Dasna, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad is required for purpose, namely, project Integrated Township through Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government Which has approved its recommendation on dated October 1, 2024.

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows :

(i) The compensation will be determine as per the provisions of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(ii) At time of Social Impact Assessment Total 03 gata's and Total 0.5880 hectare land was proposed for acquisition which was revised later and revised area for acquisition is 0.0130 hectare of one gata.

(iii) The valuation of prevailing trees or assets should be done by competent technical department.

(iv) About 22 farmers were affected by land in question at time of Social Impact Assessment but as per revised area 0.0130 hectare total 2 farmers are affected.

(v) Rehabilitation and Resettlement scheme will be prepared as per RFCTLARR ACT 2013.

4. No families are likely to be displaced due to the land acquisition. As per U.P.G.O. No. 414/Ek-13-2014-7(k)(8)/2014 Lucknow dated August 6, 2014, Deputy Collector/Assistant Collector of the concerned tehsil has been appointed as administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement within their jurisdiction. For the purpose of finding out the beneficiaries under the Rehabilitation and Resettlement scheme Sub Divisional Magistrate Sadar, Ghaziabad has been appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement within their jurisdiction.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose *i.e.* Project Integrated Township.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Ghaziabad	Ghaziabad	Das na	Mehrauli	654	0.0130
				Total	**0.0130**

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under Section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of the notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under Section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE :- A plan of land may be inspected in the office of the Collector Ghaziabad for the purpose of acquisition.

By order,

DEEPAK MEENA,
Samuchit Sarkar/Collector,
Ghaziabad.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 126 राजपत्र–2025–(394)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

126 RPH 2025 (Rajaswa Anubhag) (Bhoomi Arjan) data 4e